Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शैक्ष.–विद्यापरिषद् / 2023 / दिनांक :

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध शास्त्री–शिक्षाशास्त्री महाविद्यालय,
जरारासंविवि, जयपुर

विषय :– शास्त्री–शिक्षाशास्त्री चार वर्षीय पाठ्यक्रम संस्कृत पात्रता परीक्षा (सेतु अभ्यासक्रमः) उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विद्यापरिषद् की 32वीं बैठक में अनुमोदित शास्त्री–शिक्षाशास्त्री चार वर्षीय पाठ्यक्रम संस्कृत पात्रता परीक्षा (सेतु अभ्यासक्रमः) का पाठ्यक्रम संलग्न कर अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

उप कुलसचिव

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शैक्ष.–विद्यापरिषद् / 2023 /1228-30 दिनांक : 2/6/23
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर
2. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर
3. वेबसाईट प्रभारी, जरारासंविवि, जयपुर को वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने हेतु।

उप कुलसचिव

शास्त्री-शिक्षाशास्त्री चार वर्षीय पाठ्यक्रम

शिक्षाशास्त्री चारवर्षीय पाठ्यक्रम (इन्टिग्रेटेड) में सत्र 2022 से निम्नलिखित संशोधन किये जाते

1. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु गैर संस्कृत के विद्यार्थी भी पात्र होंगे। अर्थात् जिन्होने 10+2 उच्च माध्यमिक कलावर्ग में निर्धारित अंकों से उत्तीर्ण की हो, ऐसे समस्त छात्र शास्त्री/शिक्षाशास्त्री चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे।
2. सामान्य कला वर्ग (10+2 उच्च माध्यमिक संस्कृत विषय से रहित) के विद्यार्थियों को 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिविर में भाग लेकर संस्कृत भाषा की पात्रता अर्जित करनी होगी।
3. 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण पाठ्यक्रम का आयोजन शास्त्री-शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में किया जावेगा। इस पाठ्यक्रम में समस्त गैर संस्कृत (कला वर्ग) के विद्यार्थियों को भाग लेना अनिवार्य होगा।
4. यह संस्कृत सम्भाषण वर्ग प्रतिदिन 3 घन्टे आयोजित किया जावेगा। जिसमें 2 घन्टे शिक्षण एवं 1 घन्टे की अवधि अभ्यास के लिए निर्धारित है। इस प्रकार 63 घन्टों के लिए इस संस्कृत सम्भाषण वर्ग का सञ्चालन किया जावेगा।
5. संस्कृत सम्भाषण वर्ग के समय प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा। अर्थात् इस 21 दिनों की अवधि में सार्वजनिक अवकाशों में भी 3 घन्टे के लिए संस्कृत सम्भाषण वर्ग का आयोजन किया जावेगा। (सम्बन्धित महाविद्यालय उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे)
6. 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण-संवर्ग की पृथक् से पञ्जिका का संधारण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य होगा। संस्कृत सम्भाषण वर्ग के उपरान्त उक्त पञ्जिका का मूल्यांकन किया जावेगा।
7. सम्भाषण-वर्ग हेतु महाविद्यालय ऐसे प्रशिक्षक को नियुक्त करें, जो संस्कृत सम्भाषण में दक्ष हों तथा सम्प्रेषण-कौशल से परिपूर्ण हो। (उक्त अवधि के लिए विभिन्न संगठनों/संस्थाओं से भी ऐसे शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकेंगी, सम्बन्धित महाविद्यालय अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें)
8. 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण के उपरान्त मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसके रिकॉर्ड का संधारण सम्बन्धित महाविद्यालय में किया जायेगा तथा वाञ्छित सूचना विश्वविद्यालय को ससमय प्रेषित की जावेगी।

9. यह सम्भाषण संवर्ग गैर संस्कृत छात्रों में संस्कृत भाषा बोलने, समझने, एवं लिखने की दक्षता विकसित करने के लिए है। इसके लिए छात्रों से किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा। यह केवल गैर संस्कृत विद्यार्थियों हेतु सेतु अभ्यासक्रम है।

10. संस्कृत सम्भाषण संवर्ग के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से संस्कृत सम्भाषण की दक्षता का परीक्षण किया जांयेगा तथा परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी। इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

11. 21 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण वर्ग 50 अंकों का है। इसकी दक्षता का परीक्षण साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु परीक्षक का चयन संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।